

कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया
पत्रांक 2911 /2-6 देवरिया, दिनांक, मई 31 /2023
सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर।

विषय :-

जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच-1) के कि0मी0 153-154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार आयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रमावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना कृष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :-

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय लखनऊ के पत्र संख्या-8बी/यू0पी0/06/46/2017/एफ0सी0/296 दिनांक 27.07.2022 एवं आपके कार्यालय का पृष्ठांकन पत्र सं0-291/2-6, दिनांक 03.08.2022।

महोदय,


उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा मांगी गयी अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है:-

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तरालेख -
1	जी0आई0एस0 डी0एस0एस0 रिपोर्ट के अनुसार गुगल अर्थ इमेजरीज दिनांक 08.01.2021 के अनुसार डायवर्जन के लिए प्रस्तावित स्थल पर एक मौजूदा पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है राज्य सरकार डायवर्जन के लिये प्रस्तावित क्षेत्र में मौजूदा संरचना की उपस्थिति के सम्बन्ध में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ?	उपरोक्त विषयगत प्रकरण में अवगत कराना है कि जो पेट्रोल पम्प दिखाई दे रहा है व पेट्रोल पम्प स्वामी द्वारा अपने नीजी भूमि में स्थापित किया गया है उनके द्वारा एप्रोच मार्ग के रूप में वन भूमि को गैर वानिकी प्रयोग किया जा रहा है। जिस पर विभागीय रेंज केस संख्या-17/2022-23 दिनांक 20.09.2022 इजरा किया गया था। उक्त के क्रम में फर्म/प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा अपना अपराध स्वीकार करते हुए प्रतिकर की धनराशि रू0 50,000.00 दिनांक 12.05.2023 को जमा किया गया है। जिस पर ई-3 संख्या-12946/2023 दिनांक 12.05.2023 द्वारा वसूल किया गया है जिसकी प्रति संलग्न है। प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म द्वारा बचनबद्धता प्रमाण-पत्र दिये गये हैं कि एन0पी0वी0 एवं प्रतिकर की धनराशि जो राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी। उसे नियमानुसार जमा किया जायेगा।

उक्त आख्या के क्रम में एच-2 केस, ई-3 रसीद तथा बचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न इस आशय से प्रेषित है कि वन संरक्षण अधिनियम-1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(जगदीश आर)

प्रभागीय निदेशक

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

पुस्तक सं० 67

वन विभाग उत्तर प्रदेश

१००००/-पेज नं० 29

सामाजिक वानिकी प्रभाग, देवरिया

अपराध

उत्तर प्रदेश

दिनांक 20-07-2022

रेज

वीट

रिपोर्ट नं०

रेज केस नम्बर

17/2022-23

20

20

1. अभियुक्त के नाम पिता का नाम तथा पता

अज्ञात पिता देवरिया जिला देवरिया
K.M 153-154 के पास
उत्तर प्रदेश

2. गवाह का नाम, आत्मज तथा पता

रामेश्वर सिंह देवरिया

3. कथित अपराध का पूरा विवरण

अज्ञात पिता देवरिया जिला देवरिया
K.M 153-154 के पास
उत्तर प्रदेश
अज्ञात पिता देवरिया जिला देवरिया
K.M 153-154 के पास
उत्तर प्रदेश

4. अपराध के समय यदि अपराधी का कोई सामान अपराध से सम्बन्धित पकड़ा गया हो तो उसका विवरण

T.C.
अपराध
R-2
23-5-2022

6. बरामद की गयी लकड़ियों का विवरण एवं रखने का स्थान

7. चालान तथा जाँच के सम्बन्ध में टिप्पणियाँ

अज्ञात पिता देवरिया जिला देवरिया
K.M 153-154 के पास
उत्तर प्रदेश
अज्ञात पिता देवरिया जिला देवरिया
K.M 153-154 के पास
उत्तर प्रदेश

दिनांक 20

केस बंद करने वाले का हस्ताक्षर
पद

प्रारम्भिक सूचना श्रीमान् प्रभागीय निदेशक प्रभाग देवरिया को 14 जनार्थ प्रेषित / जानाम रिप.

बाद प्रस्तुत की जायेगी।

रेन्ज अधिकारी

दिनांक 20

रेन्ज

प्रभागीय केस नं०

20

रेन्ज अधिकारी

कृपया अपनी रिपोर्ट शीघ्रातिशीघ्र भेजें।

महोदय

142 केश स० 17/2022-23 दिनांक 20.9.2022 में

प्रभागीय निदेशक

द्वारा अपराध का लोकाचल सैनोली-बलिया मार्ग K.M-153-154

देवरिया

के मुख्य दायाँ पट्टी पर अधिकांश बुगुर्ग लहसुल सादर जानपद देवाणा में पेट्रोल पम्प स्थापित

करना संशोधित वन भूमि का गैर बानिकी (इन्डोय मार्ग) का प्रयोग किया जाना वन संरक्षण

अधिनियम 1980 का उल्लंघन स्वयं पाया गया। उक्त अपराध के सम्बन्ध में पेट्रोल

अन्य अधिकारियों की रिपोर्ट

पत्र स्वामी श्रीमती विष्णु भारती देवी 1402 मेडा जापूतवाल व प्रोमोता रेजेन्सी -

डिपिणनल मैनेजर रजनी लिमेटेड (एल कार आयल लिमेटेड) अनिरेहना कम्प्लेक्स

सिगा बाराणसी का विभाग नोयल देकर अपना पक्ष रखने का कहना है। विभाग

नोयल के उद्देश्य प्रोमोता रेजेन्सी / फोन नायर रजनी लिमेटेड सिगा बाराणसी द्वारा

अपने अपराध को स्वीकार करते हुए 142 केश में दूर अपराध का प्रतिकर व

वन भूमि का गैर बानिकी के प्रयोग में ली गयी, भूमि की रज परी-गी प्रकल्प

राज्य सरकार / भारत सरकार द्वारा जो निर्धारित की जायेगी उसे सख्त पत्र

कले देल प्रार्थना है व इस देल स्था में वन्य व हला प्रमाण पत्र भी दिया

गया है। अतः 142 केश में दूर अपराध में प्रतिकर जमा करने हेतु पेट्रोल पम्प स्थापना

लेधार है प्रतिकर जमा करा कर 142 केश को प्रशुद्ध कर ले की सिफारिश की जायेगी।

रेन्ज अधिकारी की अन्तिम रिपोर्ट तथा सिफारिश

उत्तरीय जान रिपोर्ट

सेवा में उप-प्रभागीय वनाधिकारी देवरिया

महोदय, उक्त केश की जान श्री ओमकार डिवेंडी व.ड. से कयमी गयी जान्य अधिकारी के जान

रिपोर्ट से संज्ञत हु पम्प स्वामी / प्रोमोता रेजेन्सी द्वारा संशोधित वन भूमि के प्रयोग हेतु

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा

निर्धारित धनराशि को जमा करने हेतु वन्य व हला प्रमाण पत्रादक है।

142 केश में वर्गीत अपराध का प्रतिकर रु 50,000/- रुपय 12946/23 दिनांक

अन्तिम निर्णय 12.5.23 द्वारा प्रतिकर जमा किया गया। अतः केश में उक्त 50,000/- रुपय 12946/23 दिनांक 23

वनराजि अधिकारी..... के उपरोक्त अन्तिम प्रतिवेदन के अनुसार यह

केस..... के कम्पाउण्ड किया जाता है और बरामद सक्ड़ियों को मिलान करने की

अनुमति दी जाती है शेष..... रूपया जिनकी सक्ड़ियों मही बरामद हुई है।

उसकी श्री..... से वसूल करके केस द्वाप किया जाता है।

अपराध से सम्बन्धित सामान जो क्रम सं०..... पर अंकित है।

रीलीज जप्त किया जाता है। कम्पाउण्ड करने के पहले माजायत जोत की जमीन खाली करवा ली जाय, तथा तदनुसार सर्टिफिकेट रेन्ज

अफसर दें।

प्रभागीय निदेशक

देवरिया

दिनांक.....20

पत्राचार

मैं विद्युत्कारती देवी घटनी की सेवा प्रामाण्य निःशुल्क
कुछही तर्फीय हारः विद्युत् देवालय का प्रथम विद्युत्
मैं हीमोली बलिपु मीन R.M 153-154 के अद्य प्राम
पेडोपपम्य हथोपित किया जाना वन अर्थ का हीरवापिकारी
मे ली गई अर्थ का वावत-वादी विद्युत्गीत H2 केश
प्रतिकर का वाव कर है । वन अर्थ का हीरवापिक
प्रमोष मे ली गई अर्थ का वन वी० वी० सुदय २०००
सरकार । वन सरकार द्वारा जो विद्युत् की वाव
उस हथो वन करने का हैमर है

Vishwan Bhanu
विद्युत्कारती देवी
अधिकार सुदय
दिनांक - 26-05-2

वन विभाग, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उ०प्र०

E-3 बुक नं० 12946

उप प्रभागीय वनाधिकारी नं०

सा० वा० प्रभाग, देवरिया दिनांक 23.05.2023

वन प्रमाणपत्र संख्या

श्रीमती विष्णु देवी देवी 10/0 कोषा (गोरखपुर) में वन प्रमाणपत्र संख्या 153-154 के अंतर्गत

रुपया पचास हजार मात्र (50,000/-) प्राप्त किया।

बाबत रेंज के ज.नं० 17/2022-23 से ग्राह्य प्रमाणपत्र की सुदृष्टि

दिनांक 23.05.2023

प्राप्तकर्ता हस्ताक्षर

पद नाम

क्षेत्रीय वन अधिकारी
वरहज रेंज
सा० वा० प्रभाग, देवरिया